# अध्याय-II
# योजनाओं का नियोजन और वित्त व्यवस्था

# अध्याय–II

## योजनाओं का नियोजन और वित्त व्यवस्था

### 2.1 हर घर नल का जल योजना का नियोजन

हर घर नल का जल योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उचित नियोजन एवं एक सुव्यवस्थित सेवा वितरण प्रणाली आवश्यक थी। जैसा कि अध्याय 1 में उल्लेख किया गया है, बिहार सरकार के तीन विभाग यथा लो.स्वा,अभि.वि., पं.रा.वि. तथा न.वि. एवं आ.वि., हर घर नल का जल के अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी थे। तदनुसार, राज्य सरकार द्वारा आवंटित कार्यक्षेत्र के आधार पर, सभी तीनों विभागों द्वारा इन जल आपूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन की योजना बनाई गई। लेखापरीक्षा के दौरान हर घर नल का जल योजना से संबंधित जो मुद्दे लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए, उन पर निम्नलिखित कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

### 2.1.1 ग्रामीण वार्डों को आच्छादित करने का दायरा

बिहार सरकार के संकल्प (दिसंबर 2015) के अनुसार, हर घर नल का जल योजना का क्रियान्वयन, ग्रामीण क्षेत्रों में लो.स्वा.अभि..वि. एवं पं.रा.वि. विभागों के बीच विभाजन, वार्डों/ग्राम पंचायतों की जल गुणवत्ता के आकलन (गुणवत्ता प्रभावित. या गैर गुणवत्ता प्रभावित) की स्थिति तथा उन क्षेत्रों में लो.स्वा.अभि..वि. द्वारा पहले से चालू जलापूर्ति योजनाओं की उपलब्धता पर आधारित थी। ग्रामीण क्षेत्रों में लो.स्वा.अभि..वि. एवं पं.रा.वि. को आवंटित वार्डों की सारांश **तालिका 2.1** में दी गई है।

**तालिका 2.1: लो.स्वा.अभि.वि. और पं.रा.वि. के बीच ग्रामीण वार्डों का आवटंन**

| क्रियान्वयन विभाग | क्रियान्वयन विभाग द्वारा क्षेत्र को आच्छादित करने की योजना |
|---|---|
| लो.स्वा.अभि.वि. | 3,068 ग्राम पंचायतों के 30,493 वार्ड, जहाँ जल गुणवत्ता आर्सेनिक, लौह एवं फ्लोराइड से प्रभावित थी (गुणवत्ता प्रभावित ग्राम पंचायतें व वार्ड)। |
| | 1,027 ग्राम पंचायतों के 8,031 वार्ड, जहाँ पेयजल पाइपलाइन योजना पहले से ही लो.स्वा.अभि..वि. द्वारा क्रियान्वित की जा रही थी या वहाँ मौजूदा जलापूर्ति अवसंरचना मौजूद थी। |
| | गुणवत्ता प्रभावित ग्राम पंचायतों के 17,555 गैर–गुणवत्ता प्रभावित वार्ड। इन वार्डों को पहले पं.रा.वि. द्वारा आच्छादित किया जाना था, लेकिन दिसंबर 2018 में इन्हें लो.स्वा.अभि.वि को सौंप दिया गया। |
| पं.रा.वि. | 4,291 गैर–गुणवत्ता प्रभावित ग्राम पंचायतों के 58,612 वार्ड, जिन्हें लो.स्वा.अभि..वि. द्वारा आच्छादित नहीं किया जा रहा था। |

*(स्रोत: बिहार सरकार. के द्वारा निर्गत संकल्प और* लो.स्वा.अभि..वि *और पं.रा.वि. के द्वारा निर्गत पत्र (जुलाई 2018))*

ग्राम पंचायतों के गैर–गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में पंचायती राज विभाग के द्वारा हर घर नल जल योजना के क्रियान्वयन के लिए डब्ल्यू.आई.एम.सी. कार्यकारी इकाई थी। जबकि, लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा गुणवत्ता प्रभावित और गैर–गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में योजना के कार्यान्वयन के मामले में, इसका क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों के माध्यम से किया गया था।

हालांकि, अभिलेखों की जांच से यह स्पष्ट हुआ कि राज्य सरकार, के साथ–साथ लो. स्वा.अभि..वि. और पं.रा.वि. विभाग भी हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन के लिए वार्डों के विभाजन में स्पष्टता सुनिश्चित करने में विफल रहे, जैसा कि निम्नलिखित कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

### *2.1.1.1 वार्डों के विभाजन में स्पष्टता का अभाव*

बिहार राज्य में 8,391 ग्राम पंचायतों में कुल 1,14,733 (अगस्त 2016 तक) ग्रामीण वार्ड थे, हालांकि, कुछ ग्रामीण और शहरी वार्डों के विलय के कारण यह संख्या घटकर 8,386 ग्राम पंचायतों में 1,14,691 वार्ड (जुलाई 2018 तक) रह गई।

सभी गुणवत्ता प्रभावित वार्डों के साथ हीं गुणवत्ता और गैर–गुणवत्ता प्रभावित ऐसे वार्ड, जिनमें पहले से ही लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा पाइप जल आपूर्ति योजनाएं संचालित थीं इस विभाग द्वारा हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत आच्छदित किया जाना था। तदनुसार, लो.स्वा.अभि.वि. ने निर्णय लिया (अक्टूबर 2016) कि उसके सभी प्रमंडलों द्वारा नल का जल योजना को 3,378 ग्राम पंचायतों के 46,178 वार्डों में लागू की जाएगी (जिसमें गुणवत्ता प्रभावित वार्डः 25,972 तथा पाइप जल आपूर्ति/गैर–गुणवत्ता प्रभावित वार्डः 20,206 थे)।

उपरोक्त के अलावे, राज्य में कुल 17,555 ऐसे वार्ड थे जो न तो गुणवत्ता प्रभावित वार्ड थे और न ही वे लो.स्वा.अभि.वि. की किसी मौजूदा बुनियादी ढांचे के अंतर्गत आच्छादित थे। लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा लिए गए निर्णय (जुलाई 2018) के अनुसार, इन वार्डों को पं.रा.वि. द्वारा आच्छादित किया जाना था, जिसमें कुल व्यय का 30 प्रतिशत वित्तीय सहयोग और तकनीकी सहायता लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा प्रदान की जानी थी। बाद में लो.स्वा.अभि.वि. ने यह पाया कि हर घर नल का जल योजनाएं एक ही ग्राम पंचायतों में दो अलग–अलग मॉडल के तहत लागू की जा रही थीं। अतः एकरूपता बनाए रखने के लिए, लो.स्वा.अभि.वि. ने निर्णय लिया (दिसंबर 2018) कि इन 17,555 गैर–गुणवत्ता प्रभावित ग्रामीण वार्डों में भी हर घर नल का जल योजना को इसी विभाग द्वारा लागू किया जाएगा। हालांकि, तब तक इनमें से कई इकाइयों (4,587 वार्डों) में डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा जल आपूर्ति योजनाएं पहले ही शुरू या पूरी की जा चुकी थीं। आगे, लो.स्वा.अभि.वि. का यह निर्णय सभी ग्राम पंचायतों तक नहीं पहुँच पाया, जिसके कारण दिसंबर 2018 के बाद भी कुछ वार्डों में पंचायती राज विभाग द्वारा हर घर नल का जल योजनाएं लागू की जाती रहीं। मार्च 2023 तक, कुल 7,756 वार्डों[1] में हर घर नल का जल योजनाएं डब्ल्यू.आई.एम.सी./पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित की गईं थीं, जबकि शेष 9,799 वार्डों[2] में योजनाएं लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा पूरी की गईं।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन में योजना में कमी थी और स्पष्टता का अभाव था। क्रियान्वयन एजेंसियों के बीच कार्य वितरण को बार–बार संशोधित किया गया, जिससे जमीनी स्तर पर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई और कार्य निष्पादन प्रभावित हुआ, विशेष रूप से पं.रा.वि. की डब्ल्यू.आई.एम.सी. इकाइयों द्वारा गुणवत्ता प्रभावित वार्डों का आच्छादन और गैर–गुणवत्ता प्रभावित वार्डों का छूट जाने के मामलों में।

योजना में पाई गई कमियों के कारण नौ[3] नमूना–जांचित जिलों में लेखापरीक्षा के दौरान योजना के क्रियान्वयन में अनियमितताएं पाई गईं जैसा की नीचे उल्लेखित है।

- ***डब्ल्यू.आई.एम.सी. के द्वारा गुणवत्ता प्रभावित वार्डों का आच्छादन***

बिहार सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार, गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में योजनाओं का क्रियान्वयन लो.स्वा.अ.वि. द्वारा किया जाना था। चूंकि ये क्षेत्र निम्न गुणवत्ता वाले जल से प्रभावित थे, अतः जलापूर्ति योजनाओं में जल शोधन संयंत्र की स्थापना को शामिल की जानी थी, जिसे लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों द्वारा स्थापित किया जाना था। हालांकि,

---

1 *4,587 वार्डों (दिसम्बर 2018 तक क्रियान्वित) और शेष 12,968 वार्डों में से अतिरिक्त 3,169 वार्डों*

2 *12,968–3,169= 9,799 वार्डों।*

3 *औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, मधुबनी, सारण और पश्चिम चंपारण।*

लेखापरीक्षा ने पाया कि पाँच[4] नमूना–जांचित जिलों के 77 गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में जलापूर्ति योजनाओं का क्रियान्वयन लो.स्वा.अभि.वि. के बजाय पं.रा.वि. द्वारा (डब्ल्यू.आई.एम.सी. के माध्यम से) किया गया। आगे, ये योजनाएँ हर घर नल जल योजना के अंतर्गत बिना जल शोधन संयंत्र की स्थापना के क्रियान्वित की गईं ***(परिशिष्ट 2.1)***, क्योंकि पं.रा.वि. द्वारा तैयार किए गए मॉडल प्राक्कलन में जल शोधन संयंत्र की कोई व्यवस्था नहीं थी। फलस्वरूप, इन 77 वार्डों में जल की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकी, जो हर घर नल का जल योजना के उद्देश्यों के विपरीत है। राज्य/जिला प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए परीक्षणों (जुलाई 2020 और सितंबर 2022) में यह भी पाया गया कि 77 वार्डों में से 15 वार्डों में जल, गुणवत्ता मानक से अधिक प्रदूषित थी। औरंगाबाद जिले के दो वार्डों में फ्लोराइड की मात्रा मानक से अधिक थी, तथा भागलपुर पश्चिम के 13 वार्डों में आर्सेनिक/लौह की मात्रा अधिक पाई गई ***(परिशिष्ट 2.1)***।

- ***गैर–गुणवत्ता प्रभावित वार्डों का आच्छादन नहीं होना***

बिहार सरकार की संकल्प (दिसंबर 2015) के अनुसार, गुणवत्ता प्रभावित ग्रा.पं. को लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा आच्छादन किया जाना था। हालांकि, कुछ ग्रा.पं. में गुणवत्ता प्रभावित और गैर–गुणवत्ता प्रभावित दोनों प्रकार के वार्ड थे, और यह देखा गया कि ऐसे ग्रा.पं. के गैर–गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में योजना के क्रियान्वयन एजेंसी को लेकर कोई स्पष्टता नहीं थी।

इस प्रकार की कमजोर योजना और त्रुटिपूर्ण योजना प्रबंधन के कारण, लेखापरीक्षा ने पाया कि चार[5] नमूना–जांचित लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों के अंतर्गत आने वाले गुणवत्ता प्रभावित ग्रा.पं. के 19 गैर–गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में जलापूर्ति योजनाएं न तो इन प्रमंडलों द्वारा लागू की गईं, और न ही पं.रा.वि. के अंतर्गत गठित *डब्ल्यू.आई.एम.सी.* द्वारा ***(परिशिष्ट 2.2)***। फलस्वरूप, इन घरों को सुरक्षित पाइपयुक्त पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

वार्डों के बंटवारे में स्पष्टता की कमी के मुद्दे पर लो.स्वा.अभि.वि. ने उत्तर दिया कि प्रारंभ में (अक्टूबर 2016) 46,178 वार्डों में योजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया गया था, बाद में पं.रा.वि. के अनुरोध पर, लो.स्वा.अभि.वि. ने (जुलाई 2018) लो.स्वा.अभि.वि. एवं पं.रा.वि. के बीच वार्डों विभाजन को स्पष्ट किया। तदनुसार, लो.स्वा.अभि.वि. को 56,079 वार्डों में योजनाएं लागू करनी थीं, जिनमें 17,555 ऐसे वार्ड भी शामिल थे, जो न तो गुणवत्ता प्रभावित थे और न ही लो.स्वा.अभि.वि. के मौजूदा ढांचे के अंतर्गत आते थे। अगस्त 2018 में, पं.रा.वि. ने निर्णय लिया कि इन 17,555 वार्डों में हर घर नल का जल योजना का क्रियान्वयन डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा किया जाएगा।

विभाग का उत्तर यह दर्शाता है कि वार्डों के वितरण को लेकर विभागों के बीच बार–बार बदलाव हुए, जिससे योजना के क्रियान्वयन में असंगति उत्पन्न हुई।

### *2.1.1.2 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किये बिना हीं गुणवत्ता प्रभावित वार्डों का आच्छादन करना*

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 11 लो.स्वा. प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को जारी पत्र (मार्च 2016) के अनुसार (जहाँ जल गुणवत्ता फ्लोराइड से प्रभावित थी), फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाना था। तदनुसार, लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा 3,467 फ्लोराइड प्रभावित बसावटों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत शामिल करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान (मार्च 2016) की गई।

---

[4] *औरंगाबादः 14 वार्ड, दरभंगाः 11 वार्ड, सारणः 3 वार्ड, जमुईः 1 वार्ड और भागलपुरः 48 वार्ड।*

[5] *गोपालगंज, पूर्वी भागलपुर, पश्चिमी भागलपुर और दरभंगा।*

तदनुसार, संबंधित लो.स्वा. प्रमंडलों द्वारा इन योजनाओं के लिए आवश्यक अवसंरचना का आकलन करने हेतु नल जल आपूर्ति योजना की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार की जानी थी।

यह देखा गया कि हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत शामिल की गई 3,467 फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में से, प्रारंभ में केवल 1,000 योजनाओं (11 जिलों की 1,000 बसावटों में) के लिए ही लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा योजना बनाई गई और इसकी शुरुआत की गई, जिनमें फ्लोराइड निष्कासन संयंत्र की व्यवस्था भी शामिल थी। शेष 2,467 बसावटों को बाद में जारी की गई प्रशासनिक स्वीकृतियों के अंतर्गत लिया गया।

हालांकि, लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गयाा कि लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा इन 1,000 योजनाओं के लिए निविदाएं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार किए बिना या कोई विस्तृत सर्वेक्षण किए बिना हीं आमंत्रित की गईं थी। अगस्त 2016 से अप्रैल 2017 के बीच विभाग द्वारा 10 कार्यादेश जारी किए गए, प्रत्येक कार्यादेश में 100 योजनाएं शामिल थीं। प्रत्येक योजना के अंतर्गत 140 घरेलू नल जल संयोजन, एक एफआरपी, एक पंप हाउस और लगभग 1,050 मीटर जीआई पाइपलाइन प्रदान की जानी थी।

डीपीआर तैयार किये बिना हीं समय से पहले निविदा जारी करना और कार्य निष्पादन, परियोजना प्रबंधन और योजना निर्माण में गंभीर कमियों को दर्शाता है। यह देखा गया कि बिना डीपीआर तैयार किए और कार्य स्थलों का सर्वेक्षण एवं पहचान किए बिना ही कार्य आवंटित कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, नमूना–जाँच के दौरान यह पाया गया कि कुछ इकाइयों में एफआरपी लगाए गए जबकि जल गुणवत्ता के आधार पर उनकी आवश्यकता नहीं थी। नमूना जांचित 200 योजनाओं में से 15 योजनाओ में (जमुई जिले में) में एफआरपी अधिष्ठापित किए गए थे, बावजूद कि ये क्षेत्र फ्लोराइड से प्रभावित नहीं थे (लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्रों की पहचान के अनुसार)।इससे विभाग की कार्य योजना में कमी उजागर होने के साथ ही एफआरपी के अनावश्यक अधिष्ठापन पर ₹ 2.77 करोड़ का परिहार्य व्यय भी हुआ ***(परिशिष्ट 2.3)***।

एफआरपी के अनावश्यक अधिष्ठापन के मुद्दे पर लो.स्वा.अभि.वि. ने (जून 2025) उत्तर दिया कि जल स्रोत विकसित होने के बाद जल गुणवत्ता की जांच का प्रावधान था और बाद में यह निर्णय लिया जाना था कि जल गुणवत्ता सुधार उपाय अपनाए जाएं या नहीं।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लो.स्वा.अभि.वि. ने योजना की दिशा–निर्देशों का उल्लेख तो किया, लेकिन इन योजनाओं के लिए वास्तव में किए गए परीक्षणों की स्थिति स्पष्ट नहीं की और इस संबंध में कोई परीक्षण प्रतिवेदन भी उपलब्ध नहीं कराई गई। यद्यपि, जब लेखापरीक्षा द्वारा उक्त 15 योजनाओं में से दो[6] योजनाओं की जल गुणवत्ता जांच संबंधित कनीय अभियंता और जिला प्रयोगशाला के रसायनज्ञ के साथ की गई (सितंबर 2023), तो पाया गया कि दोनों योजनाओं के स्रोत जल में कोई गुणवत्ता संबंधी समस्या नहीं थी।

### 2.1.2 ग्रामीण वार्डों के आच्छादन के लिए आधारभूत सर्वेक्षण

पंचायती राज विभाग द्वारा जारी (सितंबर 2016) दिशा–निर्देशों की कंडिका 4.5.1 के अनुसार, हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन से पूर्व ग्रामीण वार्डों का एक आधारभूत सर्वेक्षण डब्ल्यू.आई.एम.सी द्वारा किया जाना था। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य घरों की संख्या तथा सुरक्षित पेयजल की आवश्यक मांग की पहचान करना था। इसके अतिरिक्त, वार्डों में उपलब्ध मौजूदा जलापूर्ति अवसंरचना की पहचान, अन्य संस्थानों जैसे विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन, सामुदायिक केंद्र, बोरिंग स्थल, आवश्यक पाइप की लंबाई आदि की जानकारी भी इस सर्वेक्षण में शामिल की जानी थी।

---

[6] *गिद्धौर प्रखंड (जमुई जिला) अंतर्गत सेवा ग्राम पंचायत के वार्ड नं. 8 और 9।*

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आधारभूत सर्वेक्षण के क्रियान्वयन में विभिन्न प्रकार की कमियाँ थीं जैसा कि निम्नलिखित कंडिकाओं में उल्लेखित किया गया है:

### *2.1.2.1 पंचायती राज विभाग के अंतर्गत डब्ल्यू.आई.एम.सी. के आधारभूत सर्वेक्षण प्रारूप में अपर्याप्त जानकारी*

पंचायती राज विभाग ने जुलाई 2017 में जहाँ नल के कनेक्शन की आवश्यकता थी, के लिए आधारभूत सर्वेक्षण को संचालित करने और कुल परिवारों तथा सामुदायिक स्थलों जैसे स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों, पंचायत भवनों आदि की जानकारी एकत्र करने हेतु एक निर्धारित प्रारूप जारी किया था।

नमूना–जांचित जिलों के लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ये आधारभूत सर्वेक्षण सही और व्यापक रूप से नहीं किए गए थे। नमूना–जांचित 35 ग्राम पंचायतों (ग्रा.पं.) के 489 वार्डों में से केवल पश्चिम चंपारण जिले के चार[7] ग्रा.पं. के 56 वार्डों ने ही आधारभूत सर्वेक्षण को निर्धारित प्रारूप में ठीक से किया था, जिसमें सभी आवश्यक जानकारी जैसे घरों की संख्या, नल जल कनेक्शन की आवश्यकता वाले सामुदायिक स्थलों की जानकारी इत्यादि सम्मिलित थी। जबकि जांच किए गए 26[8] ग्रा.पं. के 396 वार्डों में आधारभूत सर्वेक्षण, निर्धारित प्रारूप में नहीं किये गए थे और आगे यह सर्वेक्षण प्रारूप या तो खाली पाया गया या तो उसमें सीमित/अपूर्ण जानकारी ही दर्ज थी।

इस प्रकार, हर घर नल का जल योजना की प्रभावी योजना हेतु आवश्यक विस्तृत और समग्र जानकारी पं.रा.वि. को उपलब्ध नहीं हो सकी क्योंकि ये आधारभूत सर्वेक्षण अपूर्ण थे।

### *2.1.2.2 आधारभूत सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार घरों की संख्या की अनदेखी*

पंचायती राज विभाग के दिशानिर्देशों (सितंबर 2016) के अनुसार, ग्रामीण वार्डों में हर घर नल का जल योजना के लिए आधारभूत सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर योजना का प्राक्कलन तैयार करना था। इसके अलावे, हर घर नल का जल योजना के लिए अंतिम रूप से तैयार किए गए इन प्राक्कलनों पर हीं, ग्रामीण वार्डों में लिए बनाये जाने वाले जलापूर्ति योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति भी आधारित होनी थी।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि नमूना जांचित 12 ग्राम पंचायतों के 17 वार्डों में, डब्ल्यू.आई.एम.सी. ने जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन (2017–19 के दौरान) हेतु आधारभूत सर्वेक्षण से प्राप्त घरों की संख्या को ध्यान में नहीं रखा गया था। आगे, तैयार किए गए कार्य प्राक्कलन में भी वार्डों के सभी पात्र घरों को शामिल नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, नमूना जांचित 12 ग्राम पंचायतों के 17 वार्डों में 445 घरों के लिए, आधारभूत आंकड़ों के अनुसार हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत जलापूर्ति योजना के प्राक्कलन तैयार नहीं किए गए थे। विवरण **तालिका 2.2** में दिया गया है:

---

[7] *बेलवा लखनपुर (14 वार्ड), धोबनी (15 वार्ड), बेलसंडी (13 वार्ड) और महुई (14 वार्ड)।*

[8] *नमूना जांचित 35 ग्रा.पं. के 489 वार्डों में से चार ग्रा.पं. के 56 वार्डों ने आधारभूत सर्वेक्षण नियमित रूप से किया था और पांच ग्रा.पं. के 37 वार्डों के आधारभूत सर्वेक्षण करने से सम्बंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। औरंगाबाद जिला: अमिलोना (11 वार्ड) महुआन (05 वार्ड) दरभंगा जिला: बिरोल (02 वार्ड) मधुबनी जिला: कालापट्टी (05 वार्ड) और सुगापट्टी (14 वार्ड)।*

**तालिका 2.2: आधारभूत और प्राक्कलनों के आंकड़ों के बीच घरों की संख्या में अंतर**

| क्र. सं. | जिलों के नाम | ग्राम पंचायतों के नाम | आधारभूत सर्वेक्षण के आकड़ों के अनुसार घरों की सं. | प्राक्कलनों में लिए गए घरों की सं. | अंतर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | दरभंगा | बिरोल | 103 | 100 | 03 |
| 2 | | ननौरा | 675 | 625 | 50 |
| 3 | मधुबनी | कालापट्टी | 314 | 268 | 46 |
| 4 | गया | उत्तरी लोधावा | 190 | 125 | 65 |
| 5 | | चकार्बंधा | 358 | 239 | 119 |
| 6 | | धुभाल | 184 | 124 | 60 |
| 7 | पश्चिम चंपारण | बेलसंडी | 180 | 168 | 12 |
| 8 | | महुई | 200 | 161 | 39 |
| 9 | गोपालगंज | गिद्धा | 311 | 270 | 41 |
| 10 | | करिया | 103 | 100 | 3 |
| 11 | | रतनचक | 141 | 139 | 2 |
| 12 | जमुई | गंगरा | 125 | 120 | 5 |
| | | कुल | **2,884** | **2,439** | **445** |

*(स्रोतः सम्बंधित ग्रा.पं. (डब्ल्यू.आई.एम.सी.) के अभिलेख और आधारभूत सर्वेक्षण के आंकड़े)*

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि आधारभूत सर्वेक्षण के अनुसार हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत कुल 2,884 परिवारों को शामिल किया जाना था, परंतु इसके विपरीत केवल 2,439 परिवारों के लिए हीं प्राक्कलन तैयार किए गए। अतः, वार्ड–वार अनुमान तैयार करते समय डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा आधारभूत आंकड़ों को ध्यान में न रखने के कारण 12 ग्राम पंचायतों के 445 परिवार हर घर नल का जल योजना के लाभ से वंचित रह गए।

### *2.1.2.3 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा सर्वेक्षण नहीं किया जाना*

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा आच्छादित किए जाने वाले वार्डों के संबंध में विभाग द्वारा सभी लो.स्वा. प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश जारी (अक्टूबर 2016) किए गए थे कि वे हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन हेतु चिन्हित वार्डों की जानकारी एकत्र करें, जिसमें भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, जल स्रोत, सड़कें, उपलब्ध बुनियादी ढांचा आदि का विवरण शामिल हो। इन निर्देशों के बावजूद, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि हर घर नल का जल योजना को अपनाने से पूर्व लो.स्वा. प्रमंडलों द्वारा कोई भी जानकारी एकत्र करने की प्रक्रिया या सर्वेक्षण नहीं किया गया। इसके बजाय, लो.स्वा. अ.वि. द्वारा हर घर नल का जल .योजना के अंतर्गत विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं के डीपीआर, 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर तैयार किए गए, जिसमें जनसंख्या को वृद्धि दर के अनुसार अनुपातिक रूप से बढ़ाया गया था।

यह देखा गया कि लो.स्वा. प्रमंडलों द्वारा सर्वेक्षण नहीं किए जाने के कारण राज्य के 46,633 वार्डों के अंतर्गत 11.22 लाख परिवार (जिसमें गुणवत्ता प्रभावित 30,207 वार्डों के 8.07 लाख परिवार शामिल हैं) हर घर नल का जल योजना से वंचित रह गए। लेखापरीक्षा द्वारा तकनीकी सहायक/पंचायत सचिव के साथ 2,283 परिवारों के संयुक्त भौतिक सत्यापन (जुलाई से नवंबर 2023 के बीच) के दौरान यह भी पाया गया कि 30 वार्डों के 1,470 परिवार इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए थे।

इस प्रकार, सर्वेक्षण नहीं किए जाने से न केवल इस योजना की आयोजन प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, बल्कि सुरक्षित पाइप से जलापूर्ति के लाभ से भी लक्षित पात्र परिवारों को वंचित कर दिया गया।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने (जून 2025) उत्तर दिया कि डीपीआर तैयार करते समय कम से कम तीन दशकों की जनगणना आकड़ों को वैज्ञानिक विधियों द्वारा इंटरपोलेशन/ एक्सट्रापोलेशन करके बेसलाइन सर्वे के रूप में उपयोग किया गया। चूंकि जनगणना डाटा उपलब्ध था, इसलिए अतिरिक्त खर्च कर सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि, इस प्रक्रिया में एक ही वार्ड के भीतर दो टोलों/बस्तियों के बीच भौतिक बाधा के कारण 46,633 वार्डों के 11.22 लाख परिवार छूट गए।

यह जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि लो.स्वा. प्रमंडलों ने विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों (अक्टूबर 2016) का पालन नहीं किया, जिसमें चिन्हित वार्डों की जानकारी तथा उनके भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, जल स्रोत, सड़कें, उपलब्ध बुनियादी ढांचा आदि के विवरण एकत्र करने का निर्देश था, ताकि हर घर नल का जल योजना का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। इसके अलावे, लेखापरीक्षा द्वारा किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान एक ही वार्ड के भीतर दो टोलों/बस्तियों के बीच किसी प्रकार की भौतिक बाधा की स्थिति नहीं पाई गई।

### 2.1.3 शहरी वार्डों के आच्छादन के लिए कार्य क्षेत्र

हर घर नल का जल योजना को राज्य के 143 शहरी स्थानीय निकायों में न.वि. एवं आ. वि. द्वारा लागू किया जाना था। इस योजना के अंतर्गत उन सभी शहरी परिवारों को शामिल किया जाना था (पाइप जल की मौजूदा व्यवस्था वाले परिवारों को छोड़कर) जिनके पास पाइप से पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। हर घर नल का जल योजना की शुरुआत (मई–जून 2016) के समय, राज्य में कुल 19.22 लाख शहरी परिवारों में से 3,370 वार्डों के 15.85 लाख परिवारों को योजना के अंतर्गत शामिल करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें पहले से पाइप जलापूर्ति सुविधा वाले परिवारों को बाहर रखा गया था। आगे, शहरी क्षेत्रों में हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन को श.स्था.नि. और बुडको के बीच विभाजित किया गया था, जिसका विवरण **तालिका 2.3** में प्रस्तुत है:

**तालिका 2.3: शहरी वार्डों के आच्छादन के लिए कार्य क्षेत्र**

| कार्यान्वयन इकाई | वार्डों की संख्या | परिवारों की संख्या |
|---|---|---|
| शहरी स्थानीय निकाय | 1,986 | 8,06,333 |
| बुडको | 1,384 | 7,79,067 |
| **कुल** | **3,370** | **15,85,400** |

*(स्रोतः न.वि. एवं आ.वि. द्वारा उपलब्ध आंकड़े)*

143 शहरी स्थानीय निकायों में से, हर घर नल का जल योजना को बुडको द्वारा 29 स्थानीय निकायों में लागू किया जाना था। शेष 114 स्थानीय निकायों में यह योजना स्वयं स्थानीय निकायों द्वारा बुडको और लो.स्वा.अभि.वि. की तकनीकी सहायता से क्रियान्वित की जानी थी।

### 2.1.4 शहरी वार्डों की आच्छादन के लिए आधारभूत सर्वेक्षण

नगर विकास एवं आवास विभाग के निर्देशों (मई 2016) के अनुसार, श.स्था.नि. द्वारा जलापूर्ति की वर्तमान स्थिति का आकलन करने और मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना (हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत) के क्रियान्वयन हेतु एक रोडमैप तैयार करने के लिए अवसंरचना एवं घर–घर सर्वेक्षण किया जाना था। इस सर्वेक्षण के माध्यम से, घरों की संख्या, नल जल कनेक्शन वाले घरों की उपलब्धता, पेयजल का स्रोत आदि से संबंधित जानकारी श.स्था.नि. द्वारा एकत्रित की जानी थी।

स्थानीय निकायों द्वारा यह आधारभूत सर्वेक्षण मई से जून 2016 के दौरान किया गया था, और सर्वेक्षण के अनुसार, शहरी वार्डों में 15.85 लाख घरों को हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत पाइप जलापूर्ति की जानी थी। हालांकि, यह देखा गया कि 12 में से

7 चयनित श.स्था.नि. में योजना के लिए प्राक्कलन तैयार करते समय संबंधित आधारभूत सर्वेक्षण में चिन्हित घरों की संख्या को ध्यान में नहीं रखा गया। इसके बजाय, बुडको द्वारा तैयार किए गए मॉडल प्राक्कलन[9] में उल्लिखित घरों की संख्या के आधार पर हीं योजना का प्राक्कलन तैयार किया गया। इसका विवरण **तालिका–2.4** में दिया गया है।

**तालिका 2.4: योजना से वंचित परिवारों की संख्या**

| क्र. सं. | शहरी स्थानीय निकायों के नाम | आधारभूत आकड़ों के अनुसार आच्छादित किये जाने वाले परिवारों की संख्या | प्राक्कलनों में शामिल परिवारों की संख्या | अंतर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | औरंगाबाद | 13,064 | 12,110 | 954 |
| 2 | बीरपुर | 3,659 | 3,250 | 409 |
| 3 | झंझारपुर | 6,073 | 5,900 | 173 |
| 4 | खगरिया | 9,848 | 6,500 | 3,348 |
| 5 | रिविलगंज | 6,311 | 5,977 | 334 |
| 6 | टेकारी | 3,523 | 2,909 | 614 |
| 7 | गोपालगंज | 9,701 | 9,671 | 30 |
| | **कुल** | **52,179** | **46,317** | **5,862** |

*(स्रोतः न.वि. एवं आ.वि. और श.स्था.नि. के अभिलेख)*

तालिका से स्पष्ट है कि आधारभूत सर्वेक्षण में उपलब्ध आंकड़ों (जिसमें घरों की संख्या भी शामिल है) को प्राक्कलन तैयार करने में शामिल नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 5,862 घरों (नवंबर 2023 तक) को पाइप जलापूर्ति प्रदान नहीं की जा सकी और योजना का 100 प्रतिशत घरों को आच्छादित करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका।

### 2.1.5 ग्रामीण क्षेत्र में योजना के महत्वपूर्ण घटकों का योजना निर्माण

बिहार सरकार के आदेश (दिसंबर 2015) के अनुसार, लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा क्रियान्वित की जानी वाली तथा पं.रा.वि. द्वारा क्रियान्वित की जानी वाली गैर–गुणवत्ता प्रभावित योजनाओं, दोनों हर घर नल जल योजना के लिए लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा हीं मॉडल प्राक्कलन तैयार करने थे। ये मॉडल प्राक्कलन लो.स्वा.अ.वि. द्वारा तैयार किए गए (अप्रैल 2017) और जुलाई 2018 में पुनः संशोधित किए गए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा अपने लिए तैयार किए गए मॉडल प्राक्कलनों और पं.रा.वि. के अंतर्गत डब्ल्यू.आई.एम.सी द्वारा उपयोग हेतु तैयार किए गए प्राक्कलनों में विसंगतियाँ थीं। इसके परिणामस्वरूप, ग्रामीण क्षेत्रों के गैर–गुणवता प्रभावित वार्डों (जो पं.रा.वि. द्वारा क्रियान्वित किए गए) और लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के बीच अंतर पाए गए, जैसा कि नमूना–जांचित ग्राम पंचायतों में निम्नलिखित कंडिकाओं में वर्णित है:

#### *2.1.5.1 पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं में क्लोरीनेटर का प्रावधान नहीं किया जाना*

केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन (सी.पी.एच.इ.इ.ओ.) द्वारा प्रकाशित (मई 2019) जल आपूर्ति एवं शोधन पर मैनुअल के अनुसार, पीने के जल की सर्वोच्च सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जल का कीटाणुशोधन आवश्यक है, ताकि रोग उत्पन्न करने वाले जीवों का नाश किया जा सके। इसके लिए, जल के कीटाणुशोधन को प्राप्त करने

[9] *मॉडल प्राक्कलन एक मानक प्रपत्र था, जिन्हें बुडको (न.वि. एवं आ.वि. के लिए) द्वारा तैयार किया गया था और इनमें घरेलू आच्छादन तथा अधोसंरचना के औसत मानकों का उपयोग किया गया था।*

हेतु क्लोरीनेटर[10] की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटक थी। इसके अतिरिक्त, हर घर नल जल योजना का उद्देश्य भी सभी घरों तक सुरक्षित, पाइप से आपूर्ति की गई पेयजल सुविधा प्रदान करना था।

उपरोक्त के बावजूद, लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा हर घर नल का जल.योजना के अंतर्गत ग्रामीण वार्डों के लिए प्रस्तावित जलापूर्ति योजनाओं हेतु तैयार किये गए मॉडल प्राक्कलन में क्लोरीनेटर की व्यवस्था नहीं की गई थी, जिन्हें पं.रा.वि. द्वारा क्रियान्वित किया जाना था। बाद में, अपर मुख्य सचिव, पं.रा.वि. की अध्यक्षता में आयोजित हर घर नल का जल. योजना की समीक्षा बैठक (अगस्त 2021) में यह निर्णय लिया गया कि ग्रा.पं. स्तर पर डब्ल्यू.आई.एम.सी द्वारा क्रियान्वित सभी संबंधित जलापूर्ति योजनाओं में क्लोरीनेटर लगाए जाएंगे। तथापि, नमूना–जांचित ग्रा.पं. में अभिलेखों की जांच एवं संयुक्त भौतिक सत्यापन (जुलाई 2023 से नवंबर 2023 के दौरान लेखापरीक्षा एवं तकनीकी सहायक/पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से किये गए) में यह पाया गया कि डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा क्रियान्वित किसी भी योजना में क्लोरीनेटर स्थापित नहीं किए गए थे, जैसा कि **अध्याय–IV** में वर्णित है, जिससे घरों तक गुणवत्तापूर्ण जल आपूर्ति प्रभावित हुई।

### *2.1.5.2 भूजल पुनर्भरण के लिए अपर्याप्त प्रावधान*

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के विजन एवं स्ट्रैटजी दस्तावेज के कंडिका 2.2 के अनुसार, भूजल के पुनर्भरण एवं दोहन के संतुलन को बनाए रखने के लिए भूजल पुनर्भरण किए जाने का प्रावधान था। भूजल का पुनर्भरण दीर्घकालिक जल उपलब्धता सुनिश्चित करने, पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करने तथा पेयजल और सिंचाई के एक महत्वपूर्ण स्रोत उपलब्ध करने में आवश्यक था।

हालांकि, लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा तैयार की गई हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन हेतु मॉडल प्राक्कलन में भूजल पुनर्भरण के किसी भी हस्तक्षेप का प्रावधान नहीं किया गया था। 15 नमूना–जांचित प्रमंडलों (2,374 वार्डों) के मामले में यह पाया गया कि वर्ष 2017 से 2023 के दौरान कार्यान्वित जलापूर्ति योजनाओं में लो.स्वा. प्रमंडलों द्वारा भूजल पुनर्भरण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

भूमिगत जल पुनर्भरण उपायों की कमी से जलस्तर में गिरावट आ सकती है और पेयजल स्रोतों की दीर्घकालिक स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। यह चूक विश्वसनीय और सुदृढ़ जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के योजना के उद्देश्य को भी कमजोर करती है।

यदि भूजल पुनर्भरण के उपाय नहीं किए जाते हैं, तो इससे जल स्तर में गिरावट आ सकती है और पीने के पानी के स्रोतों की दीर्घकालिक स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। इस प्रकार की चूक, विश्वसनीय और लचीली जल आपूर्ति सुनिश्चित करने की योजना के उद्देश्य को भी कमजोर करती है.

## 2.1.6 शहरी क्षेत्र में आवश्यक घटकों का योजना निर्माण

नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प (फरवरी 2016) के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति क्षमता का 15 से 20 प्रतिशत भाग जल मीनार के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना था, जबकि शेष क्षमता सीधे मोटर पंप के माध्यम से स्थापित की जानी थी। आगे, न.वि.एवं आ.वि. के दिशा–निर्देश (अक्टूबर 2016) में यह बताया गया था की यदि आवश्यक विद्युत आपूर्ति उपलब्ध न हो तो शहरी क्षेत्रों में वैकल्पिक जल आपूर्ति व्यवस्था के रूप में वैट्स (2000 से 8000 लीटर क्षमता के) का निर्माण किया जाए।

---

[10] *क्लोरीनेटर, पीने के पानी की कीटाणु–नाशक प्रक्रिया सुनिश्चित करता है, क्योंकि यह पर्याप्त क्लोरीन स्तर बनाए रखता है और इस प्रकार जलजनित रोगों को रोकता है।*

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि न.वि. एवं आ.वि. द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में हर घर नल का जल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु तैयार किए गए मॉडल प्राक्कलन (जनवरी 2017) में ट्यूबवेल, पंप, जल वितरण नेटवर्क आदि का प्रावधान तो था परंतु, जल भंडारण हेतु जलमीनार/वैट्स और सुरक्षित पेयजल की सतत् आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल की कीटाणुशोधन व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इसी मॉडल प्राक्कलन, जो न.वि.एवं आ.वि. द्वारा तैयार किया गया था, स्थानीय निकायों द्वारा योजना के अनुमान तैयार करने और क्रियान्वयन के दौरान अपनाया गया।

इस समस्या के कारण, निरंतर जल आपूर्ति में देरी/अनुपलब्धता और पानी के उचित कीटाणुशोधन की कमी के मामले सामने आए, जैसा कि आगे के कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

### *2.1.6.1 जलमीनार/वैट्स का प्रावधान नहीं/देरी से किए जाना*

लेखापरीक्षा में देखा गया कि न.वि. एवं आ.वि. द्वारा तैयार किए गए मॉडल प्राक्कलन में जलमीनार/वैट्स को शामिल न किए जाने के कारण, श.स्था.नि. ने अपने कार्य प्राक्कलनों और ठेकेदारों के साथ बाद में निष्पादित किए गए एकरारनामाओं में इसकी व्यवस्था नहीं की थी। नमूना–जांचित नौ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वर्ष 2017–18 से 2020–21 की अवधि में कुल 203 हर घर नल का जल. योजनाएं ली गईं थी। यह पाया गया कि इनमें से 150 जलापूर्ति योजनाओं के एकरारनामा श.स्था.नि. द्वारा किए गए, जिनमें आवश्यक जलमीनार की व्यवस्था नहीं की गई थी। हालांकि, फरवरी 2018 में न.वि. एवं आ.वि. द्वारा एक नए दिशा–निर्देश जारी किए गए, जिसके अनुसार एक मॉडल प्राक्कलन तैयार किया गया और निर्बाध जलापूर्ति हेतु प्रति जलमीनार की राशि निर्धारित की गई।

तदनुसार, आठ नमूना–जांचित स्थानीय निकायों ने 93 योजनाओं में जलमीनार के निर्माण के लिए ठेकेदारों के साथ नए एकरारनामा किए, लेकिन शेष 57 योजनाओं[11] में जलमीनार की समान व्यवस्था नहीं की गई, जिससे सभी श.स्था.नि. में जलापूर्ति सेवाओं को समान रूप से देने की प्रक्रिया प्रभावित हुई। इसका विवरण **तालिका 2.5** में दिया गया है:

**तालिका 2.5: श.स्था.नि. के द्वारा कार्यान्वित योजनाओं में जलमीनार की स्थापना नहीं/देरी से किया जाना**

| क्र. सं. | श.स्था.नि. के नाम | श.स्था.नि. के द्वारा किये गए योजनाओं की सं. | जलमीनार के लिए क्रियान्वित एकरारनामा | जलमीनार के लिए क्रियान्वित नए एकरारनामा (उसी वार्ड में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बीरपुर | 13 | 12 | 12 |
| 2 | बेनीपुर | 40 | 6 | 6 |
| 3 | झंझारपुर | 14 | 6 | 4 |
| 4 | खगरिया | 26 | 26 | 26 |
| 5 | रिविलगंज | 19 | 9 | 3 |
| 6 | टेकारी | 13 | 13 | 5 |
| 7 | गोपालगंज | 18 | 18 | 18 |
| 8 | झाझा | 41 | 41 | 19 |
| 9 | भागलपुर | 19 | 19 | 0 |
| | **कुल** | **203** | **150** | **93** |

*(स्रोतः सम्बन्धित श.स्था.नि. के अभिलेख)*

[11] *पहला एकरारनामा 150 योजनाओं में बिना पानी टंकी के निष्पादित किया– दूसरा एकरारनामा 93 योजनाओं में पानी टंकी के लिए निष्पादित किया = 57 योजनाएँ बिना पानी टंकी के रह गई।*

नौ नमूना–जांचित शहरी स्थानीय निकायों के 57 योजनाओं में जलमीनार की स्थापना नहीं होने के कारण, लक्षित लाभार्थियों को निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

### 2.1.7 हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन के आरंभ होने में विलंब

#### *2.1.7.1 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन के आरंभ में विलंब*

हर घर नल का जल योजना को दिसंबर 2015 में बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य वर्ष 2020 तक 100 प्रतिशत घरों को सुरक्षित, पाइप जलापूर्ति सुनिश्चित करना था। लो.स्वा.अभि.वि. के दिशा–निर्देशों (सितंबर 2016) के अनुसार, .हर घर नल का जल जलापूर्ति योजनाओं को 2016–17 से 2019–20 के बीच पूरा किया जाना था और योजनाओं के वर्षवार आच्छादन का लक्षित बँटवारा तथा इसे प्रारंभ करने की उपलब्धियाँ नीचे दिए गए हैं:

**तालिका 2.6: लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा प्रारंभ किये गए योजनाओं का वर्षवार लक्ष्य और उपलब्धि**

| वर्ष | लक्ष्य (प्रतिशत में) | योजनाओं का प्रारंभ (प्रतिशत में) | अंतर (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|
| 2016-17 | 15 | 0 | (-) 15.00 |
| 2017-18 | 30 | 14.49 | (-) 15.51 |
| 2018-19 | 35 | 26.89 | (-) 8.11 |
| 2019-20 | 20 | 58.56 | (+) 38.56 |
| 2020-21 | 0 | 0.06 | (+) 0.06 |
| **कुल** | **100** | **100** | |

*(स्रोत: लो.स्वा.अभि.वि. के अभिलेख)*

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि पहले तीन वर्षों में लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी। शुरूआती वर्षों में योजनाओं के प्रारंभ किये जाने के लक्ष्य की उपलब्धि नहीं होने का मुख्य कारण ग्रामीण वार्डों के लो.स्वा.अभि.वि. और पं.रा.वि. के बीच विभाजन की स्पष्टता का अभाव था (जैसा कि **कंडिका 2.1.1.1** में वर्णित है)। हर घर नल का जल योजना के शुरू होने के दो साल बाद, इन विभागों के बीच ग्रामीण वार्डों का अंतिम वितरण जुलाई 2018 में ही हुआ, जिससे जमीनी स्तर पर परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर असर पड़ा। परिणामस्वरूप, लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा जल आपूर्ति योजनाओं के प्रारंभ में विलंब हुआ और पिछले वर्ष (2019–20) में केवल 20 प्रतिशत परियोजनाओं को शुरू करने के प्रारंभिक लक्ष्य के मुकाबले, योजना पूर्ण करने का अधिकांश कार्यभार 2019–20 के एक ही वर्ष में आ गया, जो हर घर नल का जल योजना को पूरा करने का अंतिम वर्ष था। लो.स्वा.अभि.वि. ने लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार किया और बताया (जून 2025) कि सीमित समयावधि में अत्यधिक कार्यभार तथा इस योजना में तीन अलग–अलग विभागों की भागीदारी के कारण योजना निर्माण में अधिक समय लगा।

#### *2.1.7.2 पंचायती राज विभाग द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन के आरंभ में विलंब*

पंचायती राज विभाग द्वारा हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार निधियों की उपलब्धता के आधार पर चार वर्षों में चरणबद्ध रूप से वार्डों का आच्छादन किया जाना था– वर्ष 2016–17 में 20 प्रतिशत, 2017–18 और 2018–19 में प्रत्येक वर्ष 30 प्रतिशत तथा वर्ष 2019–20 में शेष 20 प्रतिशत। जबकि, नौ जिलों के अंतर्गत 27 ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की नमूना जाँच से यह स्पष्ट हुआ कि, वर्षवार चरणबद्धता का समान रूप से पालन नहीं किया गया। वर्ष 2016–17 में पं. रा.वि. द्वारा धनराशि जारी नही होने के कारण 70 वार्डों के लक्ष्य के विरुद्ध इन ग्राम पंचायतों में कोई योजना प्रारंभ नहीं की गई।

आगे, योजनाओं का प्रारंभ, बाद के वर्षों (2017–18 से 2019–20) के दौरान भी निर्धारित अनुपात से हटकर रहा। तथापि, यह देखा गया कि इन 27 ग्राम पंचायतों के सभी 350 लक्षित वार्ड अंततः योजना के अंतर्गत आ गए, जिसमें अंतिम वर्ष (2019–20) में क्रियान्वयन का उल्लेखनीय संकेंद्रण हुआ। विवरण **चार्ट 2.1** में प्रदर्शित है:

**चार्ट 2.1: नमूना–जांचित ग्रा.पं. में वर्षवार योजना की शुरुआत**

*(अंक वार्डों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं)*

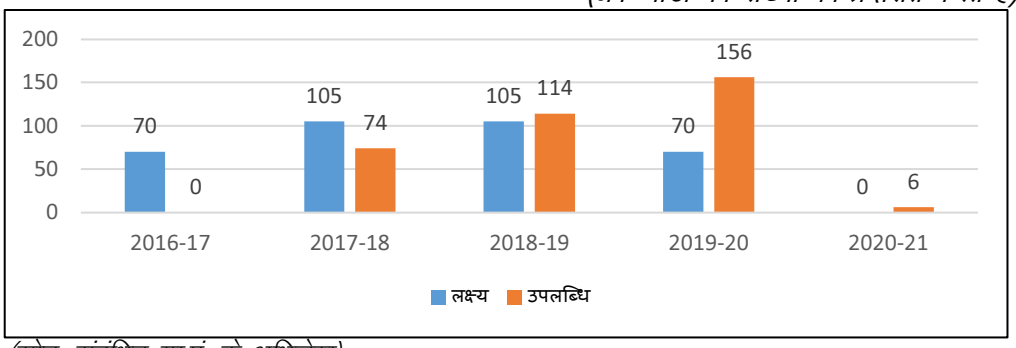


*(स्रोत: संबंधित ग्रा.पं. के अभिलेख)*

चार्ट यह भी दर्शाता है कि सबसे अधिक योजनाएं (350 में से 156) वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान शुरू हुईं, जो हर घर नल का जल योजना की निर्धारित क्रियान्वयन अवधि का अंतिम वर्ष था। हालांकि 2017–18 में सीमित शुरुआत का कोई स्पष्ट कारण दर्ज नहीं किया गया था, तथापि इसे लो.स्वा.अभि.वि. और पं.रा.वि. के बीच वार्डों के विभाजन में हुए विलंब से संबद्ध माना जा सकता है, जिसने प्रारंभिक चरण के दौरान योजनाओं की योजना निमार्ण प्रक्रिया तथा क्रियान्वयन को प्रभावित किया।

## *निष्कर्ष*

हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन में कार्यान्वयनकारी विभागों के मध्य समुचित समन्वय के अभाव के कारण योजना–निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण कमियाँ पाई गईं। आधारभूत सर्वेक्षणों के अभाव अथवा उनकी अपर्याप्तता के परिणामस्वरूप वास्तविकता से परे प्राक्कलन तैयार किए गए, अधूरी आधारभूत संरचना का निर्माण हुआ, योजना–निर्माण में कमी रही तथा गृह–आच्छादन के लक्षित चयन में भी त्रुटियाँ पाई गईं। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं पंचायती राज विभाग के मध्य दायित्वों के स्पष्ट विभाजन का अभाव था, गुणवत्ता–प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक शोधन संयंत्रों का अधिष्ठापन नहीं किया गया था तथा योजनाओं का क्रियान्वयन असंगत विनिर्देशों के साथ किया गया। इसके अतिरिक्त, मॉडल प्राक्कलनों में क्लोरीनेटर एवं भू–जल पुनर्भरण जैसे महत्वपूर्ण घटकों को सम्मिलित नहीं किए जाने से जल की सुरक्षा तथा योजना की स्थिरता प्रभावित हुई। इन कमियों के कारण योजना के वांछित उद्देश्यों की पूर्ति बाधित हुई, जिससे योजना–निर्माण, क्रियान्वयन तथा पर्यवेक्षण तंत्र में विद्यमान कमजोरियाँ उजागर हुईं।

## *अनुशंसाएं*

***अनुशंसा 1:** राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि विस्तृत सर्वेक्षण तथा घरों/वार्डों की पहचान के माध्यम से हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत पात्र लाभूकों को प्रभावी नियोजन एवं शत–प्रतिशत आच्छादन सुनिश्चित किया जाए।*

***अनुशंसा 2:** राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि विभागों/क्रियान्वयन एजेंसियों के मध्य समन्वय को सुदृढ़ किया जाए, ताकि सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति हेतु आवश्यक क्लोरीनेटर आदि जैसे अनिवार्य घटकों का प्रावधान सभी जलापूर्ति योजनाओं में किया जाए, भले ही योजना का क्रियान्वयन किसी भी एजेंसी द्वारा किया गया हो।*

## 2.2 हर घर नल का जल योजना का वित्तीय प्रबंधन

हर घर नल का जल योजना के तहत जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन को विभिन्न स्रोतों से वित्तपोषित किया गया था, जिनमें केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के अनुदान, राज्य का बजट और अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) जैसी केंद्र सरकार की जलापूर्ति योजनाओं के तहत उपलब्ध निधि सम्मलित हैं। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कुल आवंटन का विस्तृत विवरण नीचे **तालिका 2.7** में दिया गया है।

**तालिका 2.7: सात निश्चय/जलापूर्ति योजना (डब्लूएसएस) के तहत हर घर नल का जल योजना के लिए निधि के स्रोत (2017–2023 के अवधि में)**

| | आवंटन (₹ करोड़ में) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | प.रा.वि. | न.वि. एवं आ.वि. | लो.स्वा.अभि.वि. | कुल |
| राज्य योजना | 4,985.25 | 530.16 | 13,899.13 | **19,414.54** |
| केंद्रीय वित्त आयोग | 6,806.96 | 756.54 | - | **9,187.28** |
| राज्य वित्त आयोग | 1,623.78 | | - | |
| अमृत | - | 1,899.10 | - | **1,899.10** |
| **कुल** | **13,415.99** | **3,185.80** | **13,899.13** | **30,500.92** |

*(स्रोत: विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)*

लो.स्वा.अभि.वि. के मामले में, हर घर नल का जल योजना के लिए आवंटित कुल ₹13,899.13 करोड़ के आवंटन में से, लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों द्वारा वर्ष 2017–18 से 2022–23 के दौरान विभाग को ₹5,387.24 करोड़ (38.75 प्रतिशत) के व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया था। हलॉकि, कार्यान्वयन विभाग (पं.रा.वि. और न.वि. एवं आ.वि.) द्वारा हर घर नल का जल योजना पर हुए वास्तविक व्यय का विवरण या उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण लेखापरीक्षा द्वारा राज्य स्तर पर योजना में राशि के आवंटन एवं व्यय की स्थिति ज्ञात नहीं किया जा सका।

- **हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत परिवारों का आच्छादन**

मार्च 2023 तक कार्यान्वयन विभागों द्वारा 189.39 लाख लक्षित परिवारों के विरुद्ध 186.13 लाख परिवारों को योजना से आच्छादित किया गया था। विस्तृत विवरण नीचे **तालिका 2.8** में दी गई हैं।

**तालिका 2.8: विभागवार लक्ष्य एवं उपलब्धि (मार्च 2023 तक)**

| क्रम संख्या | विभाग का नाम | लक्षित परिवार (लाख में) | कुल अच्छादित परिवार (लाख में) | आच्छादित परिवार (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पं.रा.वि. | 88.95 | 88.12 | 99.07 |
| 2 | लो.स्वा.अभि.वि. | 84.59 | 83.18 | 98.33 |
| 3 | न.वि. एवं आ.वि. | 15.85 | 14.83 | 93.56 |
| कुल | | **189.39** | **186.13** | **98.28** |

*(स्रोत: लागू करने वाले विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)*

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि 98.28 प्रतिशत घर पाइप जलापूर्ति से आच्छादित थे, हालांकि चयनित लेखा परिक्षित इकाइयों में पाया गया कि यह आच्छादन बढ़ा–चढ़ाकर दिखाया गया था। लेखा परिक्षित इकाइयों में पाया गया कि कार्यान्वयन विभागों द्वारा प्रतिवेदित की गई पूर्णता का प्रतिशत, वास्तविक पूर्णता की तुलना में बहुत अधिक था, जैसा कि **कंडिका 3.1 और 3.2** में उल्लेखित है। लेखा परीक्षा के दौरान कम आच्छादन के निम्न कारण पाये गए–(i) संवेदकों द्वारा कार्य बीच में ही छोड़ दिया जाना।

(ii) पूर्व से मौजूद बुनियादी ढांचे की अनुचित पहचान (iii) पं.रा.वि. और न.वि. एवं आ. वि. के बीच वार्डों के विभाजन में स्पष्टता की कमी आदि।

## 2.2.1 ग्रामीण क्षेत्र में हर घर नल का जल योजना का वित्त पोषण

### *2.2.1.1 ग्राम पंचायतों की वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के लिए वित्त पोषण की व्यवस्था*

पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार सात निश्चय मिशन मोड कार्यक्रम के तहत दो उप–योजनाएं यथा– हर घर तक पक्की गली–नालियां और हर घर नल का जल कार्यान्वित कर रहा था। नमूना जॉचित ग्रा.पं. में यह पाया गया कि विभाग/बिहार सरकार ने इन दोनों उप–योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग और राज्य बजट से सीधे ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में राशि प्रेषित की थी।दिशानिर्देशों के अनुसार, सात निश्चय योजनाओं (हर घर नल का जल योजना सहित) के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त धनराशि को संबंधित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाना था, क्योंकि स्थानीय स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए यही समितियॉ उत्तरदायी थीं। कार्य पूरा होने के पश्चात व्यय का विवरण और उपयोगिता प्रमाणपत्र, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराये जाने थे।

**(i) राज्य स्तर: वर्ष 2017–23 के दौरान पं. रा. वि. द्वारा सात निश्चय योजनाओं के लिए किए गए बजट प्रावधान और पंचायतों को आवंटित धनराशि का विवरण नीचे तालिका 2.9 में दिया गया है।**

**तालिका 2.9: पंचायती राज विभाग द्वारा आवंटित धनराशि**

**(₹ करोड़ में)**

| वर्ष | बजट प्रावधान | ग्राम पंचायतों को आवंटन | पं.रा.वि. द्वारा प्रत्यर्पण |
|---|---|---|---|
| 2017-18 | 3,509.11 | 3,507.26 | 1.85 |
| 2018-19 | 4,032.39 | 3,007.39 | 1,025.00 |
| 2019-20 | 5,731.20 | 4,023.43 | 1,707.77 |
| 2020-21 | 2,405.04 | 2,349.34 | 55.70 |
| 2021-22 | 628.00 | 418.21 | 209.79 |
| 2022-23 | 150.00 | 110.36 | 39.64 |
| **कुल** | **16455.74** | **13,415.99** | **3,039.75** |

*(स्रोत: पं.रा.वि., बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)*

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि राज्य योजना के तहत सात निश्चय योजनाओं (हर घर नल का जल योजना सहित) के लिए प्रावधानित कुल बजट का ₹ 3,039.75 करोड़ (18.47 प्रतिशत) उपयोग नहीं किया जा सका और अंततः 2017–23 के दौरान इसे प्रत्यर्पित कर दिया गया। जैसा कि सात निश्चय योजनाओं के लिए समेकित राशि जारी की गई थी, और धन के आवंटन में योजना–वार कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था, इसलिए विभाग स्तर पर हर घर नल का जल के लिए अवशेष राशि ज्ञात नहीं कि जा सकी।

विभाग से अनुपालन अप्राप्त है।

**(ii) ग्राम पंचायत स्तर पर नमूना जांच:**

लेखापरीक्षा हेतु चयनित 35 में से 33 ग्राम पंचायतों[12] (ग्रा०प०) के 456 वार्डों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि इन पंचायतों को सात निश्चय के क्रियान्वयन के लिए कुल

[12] *सारण जिले की कचनार और हुस्सेपुर ग्राम पंचायतों द्वारा हर घर नल का जल के कार्यान्वयन के लिए डब्ल्यू.आई.एम.सी. को उपलब्ध करायी गयी राशि का सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया।*

₹108.04 करोड़ प्राप्त हुए थे, जिसमें से ₹68.21 करोड़ डब्ल्यू.आई.एम.सी. को हस्तांतरित किये गये। चयनित ग्राम पंचायतों को जारी की गई धनराशि और डब्ल्यू.आई.एम.सी. को किए गए हस्तांतरण का विवरण ***परिशिष्ट–2.4*** में दिया गया है।

यह पाया गया कि पं.रा.वि. ने विशेष रूप से हर घर नल का जल योजना के लिए पंचायतों को धनराशि जारी नहीं की थी, बल्कि यह निर्देश दिया था कि सात निश्चय के लिए उपलब्ध कुल राशि में से पंचायतें चयनित योजनाओं के अनुसार हर घर नल का जल के क्रियान्वयन के लिए डब्ल्यू.आई.एम.सी. को राशि का आवंटन कर सकती हैं। इस प्रकार, पंचायत स्तर पर हर घर नल का जल योजना के लिए विशेष रूप से राशि कर्णांकित नहीं की गई थी और डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा भी हर घर नल का जल योजना के लिए अलग से बैंक खाता का संधारण नहीं किया गया था। इसके अलावा, डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा खातों से राशि की निकासी हेतु चेक निर्गत करते समय भी रोकड़ बही में योजनाओं के नाम का उल्लेख नहीं किया। जिसके कारण डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा हर घर नल का जल योजना पर किया गया वास्तविक व्यय ज्ञात नहीं किया जा सका। हालांकि, लेखा परीक्षा में उपलब्ध अभिलेख (जैसे मापी पुस्तिका, योजना पंजी, योजना संचिका आदि) के आधार पर व्यय की गणना की गयी। जिसके आधार पर यह सुनिश्चित किया गया कि उपरोक्त 456 वार्डों में से 410 वार्डों ने हर घर नल का जल योजना के कार्यान्वयन पर ₹59.61 करोड़ व्यय किया। हालांकि डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि के विरुद्ध व्यय का कोई विवरण या उपयोगिता प्रमाणपत्र ग्राम पंचायतों को उपलब्ध नहीं किया गया था।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि पं.रा.वि. और साथ ही ग्राम पंचायतें, हर घर नल का जल योजना पर धन के वास्तविक उपयोगिता की स्थिति से अवगत नहीं थीं और न ही उन्हें यह ज्ञात था कि, क्या धन का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए वह उपलब्ध कराया गया था।

### *2.2.1.2 लोक स्वास्थ्य प्रमंडल स्तर पर निधि की व्यवस्था*

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल द्वारा हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन हेतु, राज्य सरकार द्वारा लो.स्वा.अभि.वि. के बजट शीर्ष में ही राशि का उपबंध किया गया था। लो.स्वा.अभि.वि. को उपलब्ध कराये गए राशि एवं राज्य स्तर पर व्यय की विवरणी (प्रमंडलों द्वारा उपलब्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार) नीचे **तालिका 2.10** में दी गई हैं।

**तालिका 2.10: राज्य स्तर पर लो.स्वा.अभि.वि. को राशि का आवंटन एवं उपयोग**

**(₹ करोड़ में)**

| वित्तीय वर्ष | प्रारंभिक शेष | लो.स्वा.अभि.वि. को आवंटन | कुल | लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा लो.स्वा. प्रमंडलों में स्थानांतरण | व्यय (प्रमंडलों द्वारा उपलब्ध कराये गए यूसी के अनुसार) | प्रत्यर्पण (प्रतिशत) | अंतशेष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 442.28 | 1,798.52 | 2,240.79 | 525.84 | 198.78 | 30.72(2) | 1,684.24 |
| 2018-19 | 1,684.24 | 2,581.53 | 4,265.77 | 418.11 | 339.75 | 414.28(16) | 3,433.38 |
| 2019-20 | 3,433.38 | 3,168.05 | 6,601.43 | 4,296.71 | 2,628.83 | 1,606.27(51) | 698.45 |
| 2020-21 | 698.45 | 6,147.88 | 6,846.34 | 5,453.71 | 1,864.14 | 696.13(11) | 696.49 |
| 2021-22 | 696.50 | 2,152.70 | 2,849.20 | 2,041.97 | 298.81 | 245.92(11) | 561.31 |
| 2022-23 | 561.31 | 1,035.10 | 1,596.41 | 1,162.80 | 56.93 | 52.08(5) | 381.53 |
| **कुल** | | **16,883.78** | | **13,899.14** | **5,387.24** | **3,045.40** | |

*(स्रोत: लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)*

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा प्रमंडलों को ₹13,899.14 करोड़ हस्तांतरित किए गए थे, हालांकि प्रमंडल द्वारा वर्ष 2017–18 से 2022–23 की अवधि के लिए केवल ₹5,387.24 करोड़ के व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए और ₹3,405.40 करोड़ की राशि समर्पित कर दी गई थी।

लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा जवाब दिया गया (जून 2025) कि कभी–कभी वित्तीय वर्ष के अंतिम समय में राशि प्राप्त होने के कारण राशि की निकासी नहीं की जा सकी। इसके अलावा, 2019–20 के दौरान कोविड–19 महामारी के कारण राशि का व्यय नहीं किया जा सका था।

- **चयनित लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों में राशि का आवंटन**

चयनित 15 लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों में राशि के आवंटन और किये गये व्यय की संक्षिप्त स्थिति ***परिशिष्ट 2.5*** और नीचे **तालिका 2.11** में दी गई है।

**तालिका 2.11: चयनित लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों में हर घर नल का जल योजना के लिए आवंटन और व्यय**

(**₹** करोड़ में)

| वर्ष | प्रारंभिक जमा | प्राप्त आवंटन | वर्ष के दौरान कुल उपलब्ध राशि | व्यय (प्रतिशत) | प्रत्यर्पन | अवशेष राशि (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 0.00 | 70.48 | 70.48 | 68.15(97) | 2.33 | 00 |
| 2018-19 | 0.00 | 121.73 | 121.73 | 66.44(55) | 25.51 | 29.78 |
| 2019-20 | 29.78 | 957.01 | 986.79 | 521.37(53) | 39.44 | 425.98 |
| 2020-21 | 425.98 | 2,039.79 | 2,465.77 | 2,217.76 (90) | 143.06 | 104.94 |
| 2021-22 | 104.94 | 824.01 | 928.95 | 883.66(95) | 23.69 | 21.61 |
| 2022-23 | 21.61 | 517.43 | 539.04 | 496.73(92) | 21.19 | 21.12 |
| **कुल** | | **4,530.45** | **5,112.76** | **4,254.11 (83)** | **255.22** | |

*(स्रोत: लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)*

*नोट : वर्ष 2017–18 में सिर्फ भागलपुर प्रमंडल को राशि की प्राप्ति हुयी थी। जबकि वर्ष 2018–19 में औरंगाबाद और दरभंगा प्रमंडलों को राशि की प्राप्ति नहीं हुयी थी, शेरघाटी और झंझारपुर प्रमंडलों को क्रमशः 21–22 और 22–23 से राशि की प्राप्ति प्रारम्भ हुई।*

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि उपलब्ध राशि में से, वर्ष 2017–23 के दौरान 53 प्रतिशत से 97 प्रतिशत का उपयोग किया गया। इसके अलावा, राशि का एक बड़ा हिस्सा (45 प्रतिशत) वर्ष 2020–21 के दौरान जारी किया गया था, जो यह दर्शाता है कि जल आपूर्ति योजनाओं के विलम्ब से पूर्ण होने या इन योजनाओं के प्रारम्भ होने में विलम्ब के कारण, हर घर नल का जल योजना अपने प्रारंभिक लक्षित वर्ष 2019–20 से आगे बढ़ गई थी।

लेखा परीक्षा के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन में निम्नलिखित अन्य वित्तीय अनियमितताएं पायी गयी।

### *2.2.1.3 वार्ड स्तर पर राशि का अवरोधन*

- ***राशि का उपयोग नहीं किया जाना***

चयनित तीन ग्राम पंचायतों के 14 वार्डों में, पंचायतों द्वारा डब्ल्यू.आई.एम.सी. को हस्तांतरित की गई ₹1.52 करोड़ की राशि अप्रयुक्त थी। इसके मुख्य कारणों में योजना का लो.स्वा. अभि.वि. द्वारा क्रियान्वित किया जाना, या राशि की उपलब्धता के बावजूद डब्ल्यू.आई.एम. सी. द्वारा कार्य प्रारंभ न करना आदि शामिल थे। इन अप्रयुक्त राशियों का विवरण नीचे **तालिका 2.12** में दिया गया है।

**तालिका 2.12: डब्ल्यू.आई.एम.सी. के स्तर पर अप्रयुक्त राशि**

| क्र. सं. | प्रखंड (जिला) | ग्राम पंचायत | वार्डों की संख्या | *राशि (₹ लाख में)* | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | केवटी (दरभंगा) | चाचा पचड़ी | 01 | 18.06 | 27 फरवरी 2019 को वार्ड–10 में राशि हस्तांतरण कर दी गई। योजना प्रारंभ नहीं की गई। |
| 2 | सिकंदरा (जमुई) | पोहे | 01 | 4.00 | वार्ड–11 में 16 मार्च 2020 को ग्राम पंचायत द्वारा डब्ल्यू.आई.एम.सी. को राशि हस्तांतरण की गई थी, लेकिन इस वार्ड में काम लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा किया गया था (नवंबर 2019) |
| 3 | कुर्सेला (कटिहार) | जरलाही | 12 | 130.22 | ग्रा.प. को राशि विमुक्त कि गई लेकिन वार्ड के गुणवत्ता प्रभावित होने के कारण कर्य लो.स्वा.अभि.वि. द्वारा किया गया। |
| | कुल | | **14** | **152.28** | |

*(स्रोत: इकाई स्तर पर लेखाओं की समीक्षा)*

*जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, फरवरी 2019 से नवंबर 2023 के दौरान, ₹1.52 करोड़ का उपयोग नहीं किया जा सका और यह राशि अवरुद्ध रही।*

- **राशि के अभाव में योजनाओं का पूर्ण न होना**

जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ), औरंगाबाद की लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभिन्न ग्राम पंचायतों में 87 हर घर नल का जल योजनाएं विभिन्न कारणों से अधूरी या अकार्यशील थीं। इन योजनाओं को पूर्ण करने के लिए, जिला पंचायत राज अधिकारी ने (मई 2023 में) ₹6.37 करोड़ की राशि की मांग विवरणी तैयार की थी, हालांकि, इसे संबंधित विभाग को प्रेषित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, 30 नवंबर 2023 तक ये योजनाएं अकार्यशील बनी रहीं ***(परिशिष्ट–2.6)***।

- **डब्ल्यू.आई.एम.सी. के पास अधिशेष राशि पड़े रहना**

पंचायती राज विभाग के दिशा–निर्देशों (जुलाई 2017 और मार्च 2020) के अनुसार, डब्ल्यू. आई.एम.सी. के खातों में अप्रयुक्त राशि को ग्राम पंचायतों को वापस किया जाना था। हालांकि, चयनित 23 ग्राम पंचायतों के 118 वार्डों के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि डब्ल्यू.आई.एम.सी. ने योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पंचायतों से प्राप्त पूरी धनराशि का उपयोग नहीं किया। हर घर नल का जल योजनाओं के लिए ₹18.28 करोड़ के अनुमानित मूल्य के विरुद्ध, ग्राम पंचायतों द्वारा 2018–19 से 2022–23 की अवधि में डब्ल्यू.आई.एम.सी. को ₹17.77 करोड़ राशि हस्तांतरित किया गया था जिसके विरुद्ध, मापी पुस्तिका के अनुसार किए गए कार्य का मूल्य ₹15.85 करोड़ था। इस प्रकार, व्यय नहीं की गयी ₹1.92 करोड़ की राशि (नवंबर 2023 तक) डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा संबंधित ग्राम पंचायतों को वापस नहीं की गई थी ***(परिशिष्ट 2.7)***।

लेखा परीक्षित ग्राम पंचायतों द्वारा जवाब दिया (जुलाई 2023 से नवंबर 2023) गया कि अधिशेष/अतिरिक्त राशि वापस करने के लिए डब्ल्यू.आई.एम.सी. को नोटिस जारी कर दिया गया है अथवा जारी किया जाएगा। हालांकि, विभाग द्वारा इस संबंध में कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

### *2.2.1.4 ग्राम पंचायतों द्वारा डब्ल्यू.आई.एम.सी. को विलंब से राशि का हस्तांतरण*

हर घर नल का जल योजना के दिशानिर्देशों (जून 2017) के अनुसार, तकनीकी स्वीकृति के उपरांत, ग्राम पंचायतों द्वारा सात दिनों के अन्दर योजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति

प्रदान करनी होगी और स्वीकृति आदेश की सूचना डब्ल्यू.आई.एम.सी.को देनी होगी। इसके अलावा, स्वीकृति आदेश जारी होने के बाद, हर घर नल का जल योजना के लिए आवश्यक 100 प्रतिशत धनराशि डब्ल्यू.आई.एम.सी. के बैंक खाते में स्थानांतरित की जानी थी।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि चयनित 11 ग्राम पंचायतों में, (कुल 141 में से) 26 डब्ल्यू.आई.एम.सी. को राशि एक से 18 महीने की विलम्ब से जारी की गई। इसके अलावा, यह भी पाया गया कि पंचायतों के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद, डब्ल्यू. आई.एम.सी. को 100 प्रतिशत के स्थान पर केवल आठ से 81 प्रतिशत धनराशि ही उपलब्ध करायी गई। ग्राम पंचायतों द्वारा डब्ल्यू.आई.एम.सी. को धन हस्तांतरण में विलम्ब को दर्शाने वाले कुछ विशिष्ट मामले इस प्रकार हैं:

- केवटी प्रखंड (दरभंगा) के अंतर्गत चाचा पछाड़ी ग्राम पंचायत द्वारा पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद दो वार्डों[13] में हर घर नल का जल योजना के कार्यान्वयन के लिए धनराशि जारी नहीं की गई।

- मोहरा प्रखंड (गया) के अंतर्गत जेठियन ग्रा. पं. द्वारा भी पाँच वार्डों[14] में हर घर नल का जल योजना के कार्यान्वयन के लिए ₹1.62 करोड़ का प्राक्कलन तैयार होने (जनवरी 2021) के बावजूद डब्ल्यू.आई.एम.सी. को राशि (नवंबर 2023 तक) उपलब्ध नहीं करायी गयी।

इसके अतिरिक्त, ₹1.62 करोड़ की अनुमानित लागत के विरुद्ध, ग्रा.पं जेठियन ने डब्ल्यू. आई.एम.सी. को राशि उपलब्ध कराये जाने के बजाय पाँच वार्डों में शुरू की जाने वाली हर घर नल का जल योजनाओं के लिए सीधे संवेदक (लो.स्वा.अभि.वि.) को ₹46 लाख (दिसंबर 2021 और अप्रैल 2022 में) उपलब्ध करा दिया गया। एजेंसी द्वारा योजना के सभी घटकों को पूरा नहीं किया गया (नवंबर 2023 तक)। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए डब्ल्यू.आई.एम.सी. के बजाय सीधे एजेंसी को राशि उपलब्ध कराया जाना योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन था। जेठियन ग्रा.पं. के वार्ड संख्या 8 के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि केवल बोरिंग का कार्य किया गया था और पाइप बिछाने तथा गृह संयोजन का कार्य केवल आंशिक रूप से किया गया था। विस्तृत उल्लेख प्रतिवेदन के **कंडिका 3.3.2.2** में किया गया है।

डब्ल्यू.आई.एम.सी. को विलम्ब से या अपर्याप्त राशि उपलब्ध कराये जाने के कारण हर घर नल का जल योजनाओं के शुरू होने तथा जलापूर्ति योजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब जोखिम बढ़ गया। डब्ल्यू.आई.एम.सी. को विलम्ब से या अपर्याप्त राशि का हस्तांतरण से संबंधित विवरण ***परिशिष्ट 2.8*** में देखा जा सकता है। लेखा परीक्षित ग्राम पंचायतों ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया (जुलाई 2023 से नवंबर 2023) कि भविष्य में दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा, हालांकि विभाग द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

### *2.2.1.5 डब्ल्यू.आई.एम.सी. के द्वारा कार्य के मूल्य से अधिक राशि की निकासी*

लेखा परीक्षा में ऐसे मामले पाये गए जहाँ डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा कार्य के मूल्य से अधिक राशि की निकासी की गयी तथा अतिरिक्त एवं अप्रयुक्त राशि को वापस नहीं किया गया।

ग्राम पंचायत धनगई (औरंगाबाद) में हर घर नल का जल योजना के क्रियान्वयन से संबंधित अभिलेखों की समीक्षा में पाया गया कि 12 योजनाओं (12 वार्डों में) के लिए ₹1.60 करोड़ की अनुमानित लागत के विरुद्ध, डब्ल्यू.आई.एम.सी. ने ₹1.52 करोड़ की निकासी की। योजना का क्रियान्वयन नवंबर 2019 और जुलाई 2022 के अवधि में किया

---

[13] *चाचापछाड़ी ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 4 एवं 6।*

[14] *जेठियन ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 1,3,8,9 एवं 10।*

गया और मापी पुस्तिका के अनुसार किए गए कार्य का मूल्य केवल ₹1.06 करोड़ था। आगे पाया गया कि, 12 योजनाओं में से आठ योजनाएं पूर्ण हो चुकी थी जबकि चार योजनाएं अपूर्ण[15] थीं (सितंबर 2023 तक)। इन योजनाओं में जुलाई 2022 के बाद कोई कार्य नहीं किया गया और बाद में योजनाओं को लो.स्वा.अभि.वि. को हस्तांतरित (मई 2023) कर दिया गया। इस प्रकार, ₹0.46 करोड़ की अतिरिक्त राशि एक से चार साल की अवधि तक डब्ल्यू.आई.एम.सी. के पास अप्रयुक्त पड़ी रही ***(परिशिष्ट–2.9–ए)***।

लेखा परीक्षा में इस बात को इंगित किये जाने पर, ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव द्वारा जवाब दिया गया कि शेष राशि की वसूली हेतु नोटिस जारी कर दिया गया है और उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावे, तीन ग्राम पंचायतों के 12 वार्डों की 12 योजनाओं में, ग्राम पंचायतों द्वारा डब्ल्यू.आई.एम.सी. के बैंक खातों में कुल ₹1.79 करोड़ हस्तांतरित किए गए थे (फरवरी 2018 से मई 2020), लेकिन इसके विरुद्ध किए गए कार्य का मूल्य केवल ₹1.47 करोड़ था। तदनुसार, डब्ल्यू.आई.एम.सी. के बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि ₹0.32 करोड़ होनी चाहिए थी, हालांकि बैंक रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि डब्ल्यू.आई.एम.सी. के बैंक खातों में (जुलाई 2023 तक) बैंक ब्याज सहित केवल ₹8.04 लाख ही जमा थे। अतः डब्ल्यू.आई.एम.सी. के बैंक खातों से ₹0.24 करोड़ की अतिरिक्त निकासी की गई थी ***(परिशिष्ट–2.9 बी)***, जिसे (नवंबर 2023 तक) वसूल नहीं किया गया था।

हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा अतिरिक्त राशि कि निकासी और उसके बाद व्यय नहीं की गई राशि को वापस नहीं करने के ये मामले, ग्राम पंचायतों के कमजोर वित्तीय प्रबंधन एवं अनुश्रवण में कमी को दर्शाते हैं। संबंधित डब्ल्यू.आई.एम.सी. के अध्यक्ष और सचिव से इन राशियों को वसूलने के लिए कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है।

नमूना जांचित ग्राम पंचायतों द्वारा जवाब दिया (जुलाई 2023 से नवंबर 2023) गया कि राशि वापस करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है अथवा जारी किया जाएगा, जबकि विभाग द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

## 2.2.2 शहरी क्षेत्र में हर घर नल का जल योजना हेतु निधि का प्रबंधन

### *2.2.2.1 शहरी क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा हर घर नल का जल योजना का क्रियान्वयन*

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी संकल्प (फरवरी 2016) के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में हर घर नल का जल योजना को श.स्था.नि. और बुडको द्वारा कार्यान्वित किया जाना था। श.स्था.नि. ने योजनाओं के क्रियान्वयन पर होने वाले व्यय की पूर्ति केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग और राज्य बजट से की। चयनित 11 श.स्था.नि.[16] को उपलब्ध करायी गयी राशि एवं वर्ष 2017–23 की अवधि में व्यय का विवरण ***परिशिष्ट–2.10*** में दिया गया है और आवंटन एवं व्यय का सारांश **तालिका–2.13** में दर्शाया गया है।

---

[15] *वार्ड संख्या 4,5,16 एवं 17 की अपूर्ण योजनायें।*

[16] *नगर पंचायत बीरपुर द्वारा योजना पर किए गए व्यय का आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया गया।*

**तालिका 2.13: चयनित श.स्था.नि. को योजनाओं के लिए राशि का आवंटन और किया गया व्यय**

*(₹ लाख में)*

| वर्ष | प्रारम्भिक शेष | प्राप्त आवंटन | कुल | श.स्था.नि. द्वारा व्यय /स्थानांतरण #(प्रतिशत) | अंतशेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | 5,724.63 | 3,344.37 | 9,069.01 | 341.96(4) | 8,727.05 |
| 2018-19 | 8,727.05 | 3,804.29 | 12,531.34 | 2,353.08(19) | 10,178.26 |
| 2019-20 | 10,178.26 | 5,694.25 | 15,872.51 | 4,789.54(30) | 11,082.97 |
| 2020-21 | 11,082.97 | 2,117.18 | 13,200.15 | 2,674.57(20) | 10,525.58 |
| 2021-22 | 10,525.58 | 1,979.08 | 12,504.66 | 1,716.81(14) | 10,787.85 |
| 2022-23 | 10,787.85 | 0.00 | 10,787.85 | 683.85(6) | 10,104.00 |
| **कुल** | | **16,939.17** | | **12,559.81** | |

*(स्रोत: चयनित लेखापरीक्षा इकाई द्वारा उपलब्ध करायी गयी)*

*# तीन नमूना जांचित नगर निकायों (औरंगाबाद, बेतिया और कटिहार) द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बुडको को राशि हस्तांतरित किया गया।*

**तालिका–2.13** से यह स्पष्ट है कि श.स्था.नि. द्वारा योजनाओं के लिए कर्णांकित राशि में से ₹101.04 करोड़[17] का उपयोग नहीं किया जा सका था। चयनित श.स्था.नि. द्वारा योजना के अंतर्गत कर्णांकित राशि का केवल चार प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक ही उपयोग किया गया । श.स्था.नि. द्वारा उपलब्ध निधि के कम उपयोग का मुख्य कारण न.वि. एवं आ.वि. द्वारा आवश्यकता का आकलन किए बिना ही राशि का कर्णांकित करना था। इसके अलावा, चयनित निकायों के 59 वार्डों में योजनाएं शुरू ही नहीं हुईं अथवा अधूरी रहीं और साथ ही, इन निकायों में योजनाओं के संचालन एवं अनुरक्षण पर कोई व्यय नहीं किया गया था।

आगे, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि न.वि. एवं आ.वि. ने निकायों द्वारा धन की वास्तविक आवश्यकता का आकलन किए बिना ही हर घर नल का जल योजना के लिए धनराशि कर्णांकित कर दी थी। परिणामस्वरूप, चयनित आठ श.स्था.नि.[18] के मामले में यह पाया गया कि वे कर्णांकित राशि के एक बड़े हिस्से का उपयोग नहीं कर सके, जैसा कि नीचे **तालिका 2.14** में दिखाया गया है।

**तालिका 2.14: चयनित श.स्था.नि. में योजनाओं हेतु राशि का आवंटन एवं व्यय**

*(₹ लाख में)*

| क्रम संख्या | श.स्था.नि. का नाम | योजनाओं की संख्या | | हर घर नल का जल के लिए श. स्था.नि. को आवंटित कुल राशि | उपयोग की गई राशि | उपयोगिता (प्रतिशत में) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | योजनाओं की कुल संख्या | अपूर्ण | | | |
| 1 | खगड़िया | 26 | 0 | 1,104.76 | 500.97 | 45 |
| 2 | रिविलगंज | 21 | 0 | 1,034.72 | 463.67 | 45 |
| 3 | टेकारी | 13 | 0 | 503.03 | 297.20 | 59 |
| 4 | औरंगाबाद | 33 | 26 | 2,269.26 | 1,173.36 | 52 |
| 5 | कटिहार | 45 | 5 | 3,795.06 | 1,914.34 | 50 |
| 6 | भागलपुर | 51 | 24 | 6,427.58 | 3,135.36 | 49 |
| 7 | गोपालगंज | 28 | 2 | 1,368.18 | 552.02 | 40 |
| 8 | झाझा | 22 | 2 | 1,277.43 | 607.80 | 48 |

*(स्रोत: चयनित श.स्था.नि. के अभिलेख)*

[17] *प्रारंभिक शेष– ₹57.25 करोड़ + प्राप्त आवंटन ₹169.39 करोड़ - व्यय ₹125.60 करोड़ = ₹101.04 करोड़।*

[18] *खगड़िया, रिविलगंज, टेकारी, औरंगाबाद, कटिहार, भागलपुर, गोपालगंज एवं झाझा।*

**तालिका 2.14** से यह स्पष्ट है कि केवल 40 से 59 प्रतिशत धनराशि का ही उपयोग किया जा सका, जबकि चयनित 08 श.स्था.नि. में से छह में योजनाओं का कार्यन्वयन पूर्ण या लगभग पूर्ण पाया गया। इससे यह स्पष्ट है कि इन निकायों में खर्च न की गई शेष राशि के आगे उपयोग की सम्भावना बहुत सीमित थी। आगे, न.वि. एवं आ.वि. द्वारा श. स्था. नि. के पास अप्रयुक्त पड़े धनराशि के उपयोग या उसे प्रत्यर्पित करने से संबंधित कोई दिशा–निर्देश जारी नहीं किया गया था।

### *2.2.2.2 शहरी क्षेत्र में बुडको द्वारा क्रियान्वित हर घर नल का जल योजना*

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा (अक्टूबर 2016 में) जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, राज्य के 29 श.स्था.नि. में हर घर नल का जल योजना अंतर्गत जलापूर्ति योजनाओं को बुडको द्वारा क्रियान्वित किया जाना था। विभागीय निर्देशों के अनुसार, 14वें वित्त आयोग, 5वें राज्य वित्त आयोग एवं बजटीय आवंटन में हर घर नल का जल हेतु प्राप्त राशि को संबंधित निकायों द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बुडको को हस्तांतरित किया जाना था। इसके अतिरिक्त, न.वि. एवं आ.वि. द्वारा ने अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त धनराशि को भी हर घर नल का जल से संबंधित कार्यों में उपयोग के लिए बुडको को उपलब्ध कराया गया।

वर्ष 2017–18 से 2022–23 की अवधि के दौरान श.स्था.नि. एवं विभाग से बुडको को प्राप्त राशि एवं बुडको द्वारा किए गए व्यय का वर्ष–वार विवरण नीचे **तालिका 2.15** में दर्शाया गया है।

**तालिका 2.15: बुडको द्वारा सात निश्चय अंतर्गत हर घर नल का जल के लिए प्राप्तियां एवं व्यय**

*(₹ करोड़ में)*

| क्रम संख्या | वर्ष | हर विभाग से प्राप्त आवंटन | | व्यय | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अमृत | राज्य बजट | अमृत | राज्य बजट |
| 1 | 2017-18 | 6.75 | #121.45 | 81.37 | 31.94 |
| 2 | 2018-19 | 522.37 | 56.85 | 254.54 | 26.51 |
| 3 | 2019-20 | 193.17 | 24.38 | 384.46 | 58.65 |
| 4 | 2020-21 | 708.87 | 32.47 | 735.96 | 25.02 |
| 5 | 2021-22 | 417.67 | 12.37 | 256.48 | 16.02 |
| 6 | 2022-23 | 50.27 | 9.84 | 234.53 | 11.72 |
| | **कुल** | **1,899.10** | **257.36** | **1,947.34** | **169.86** |

*(स्रोतः बुडको द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)*

*# ₹87.99 करोड़ का पूर्व का अवशेष शामिल है*

**तालिका 2.15** से यह स्पष्ट है कि राज्य बजट के तहत प्राप्त ₹87.50 करोड़[19] की राशि बुडको के स्तर पर अप्रयुक्त रही। साथ ही, औरंगाबाद, भागलपुर और दरभंगा जैसे शहरों में हर घर नल का जल की कई योजनाएं निविदा को अंतिम रूप देने में विलम्ब, संवेदकों से संबंधित समस्याओं और उसके बाद अनुबंध रद्द किए जाने के कारण अधूरी रहीं। ऐसी योजनाओं का उल्लेख रिपोर्ट के **कंडिका 3.3.2.3** में किया गया है।

विभाग की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया।

[19] *₹87.50 करोड़ = (₹257.36 करोड़ – ₹169.86 करोड़)।*

## *निष्कर्ष*

लेखापरीक्षा के परिणाम हर घर नल का जल योजना के वित्तीय प्रबंधन और क्रियान्वयन संबंधित गंभीर कमियों को उजागर करते हैं। हालांकि, विभिन्न स्रोतों से ₹30,500.92 करोड़ आवंटित किए गए थे, लेकिन कार्यान्वयन विभाग न तो व्यय के बुनियादी रिकॉर्ड रखने में सफल रहे और न ही पूरी राशि का उपयोग कर सके।

पंचायती राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को राशि की आवश्यकता का उचित आकलन किए बिना और अक्सर काफी देरी से राशि जारी की गई। इसने न केवल निर्धारित समय–सीमा को बाधित किया, बल्कि योजना और समन्वय की कमी को भी दर्शाया।

क्षेत्रीय स्तर पर, कमजोर निधि अंतरण प्रबंधन एवं कमजोर संस्थागत जवाबदेही देखी गई जिसके कारण योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।ग्राम पंचायतों ने वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को योजना की अनुमानित लागत का केवल एक हिस्सा (8 से 81 प्रतिशत) ही जारी किया, जो कि 100 प्रतिशत राशि जारी करने के अनिवार्य दिशा–निर्देशों का उल्लंघन था। राशि हस्तांतरण में 18 महीने तक की देरी और वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा अतिरिक्त निकासी के मामले वित्तीय निगरानी की कमजोरी को और स्पष्ट करते हैं। इन विफलताओं ने सभी ग्रामीण परिवारों को पाइप के माध्यम से समय पर और समान रूप से पीने का पानी सुनिश्चित करने के योजना के मुख्य उद्देश्य को कमजोर किया।

## *अनुशंसा*

***अनुशंसा 3: राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि हर घर नल का जल योजना हेतु विभिन्न अनुदान मदों के अंतर्गत आवंटित निधियों का पृथक एवं विस्तृत लेखांकन किया जाए, न कि उनका समग्र सात निश्चय योजना के अंतर्गत विलय किया जाए। इसके अतिरिक्त, संबंधित विभागों के द्वारा इन आवंटनों के विरूद्ध वास्तविक रूप से किए गए व्यय की सतत् निगरानी की जानी चाहिए, ताकि पारदर्शिता, जवाबदेही तथा प्रभावी वित्तीय पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके।***